



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ 3, 1933

No. 338]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 478(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार (आशुलिपिक) धर्मी नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) संशोधन भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप-निरीक्षक (आशुलिपिक), निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ 12 के अधीन निरीक्षक (आशुलिपिक) से संबंधित, "श्रेणी में सेवा" शब्दों के स्थान पर, "चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी-1 की शर्त के अधीन रहते हुए श्रेणी में सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ 12 के अधीन सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) से संबंधित, "श्रेणी में सेवा" शब्दों के स्थान पर, "चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी-1 की शर्त के अधीन रहते हुए श्रेणी में सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. आर. IX-1/2011-मिन/सी.आर.पी.एफ./पर्स-II]

अजय के. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

पाठ टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 478(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Amendment Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Stenographer), Inspector (Stenographer) and Subedar Major (Stenographer) Recruitment Rules, 2009,—

(a) relating to the post of Inspector (Stenographer), under column 12, for the words "service in the grade", the words "service in the grade subject to Medical Category Shape-I" shall be substituted;

(b) relating to the post of Subedar Major (Stenographer), under column 12, for the

words "service in the grade", the words "service in the grade subject to Medical Category Shape-I" shall be substituted.

[F. No. R IX-1/2011-Min./CRPF/Pers. II]

AJAY K. SINGH, Director(Pers.)

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 730(E), dated the 8th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) संशोधन भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में, स्तम्भ 12 के अधीन सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) से संबंधित, "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में सेवा" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस श्रेणी में सेवा और जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 है" शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. आर. IX-1/2011-मिन/सी.आर.पी.एफ./पर्स-II]

अजय के. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 731(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Amendment Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2009, relating to the post of Subedar Major (Hindi Translator), under column 12, for the words "in the grade in Central Reserve Police Force", the words "in the grade in the Central Reserve Police Force and having Medical Category Shape-I" shall be substituted.

[F. No. R IX-1/2011-Min./CRPF/Pers. 11]

AJAY K. SINGH, Director(Pers.)

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 731(E), dated the 8th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) संशोधन भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,

(क) स्तम्भ 12 के अधीन निरीक्षक (अनुसचिवीय) से संबंधित, "श्रेणी में सेवा" शब्दों के स्थान पर, "उस श्रेणी में सेवा और जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ 12 के अधीन सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) से संबंधित, "श्रेणी में सेवा" शब्दों के स्थान पर, "उस श्रेणी में सेवा और जिनके पास चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 है" शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं. आर. IX-1/2011-मिन/सी.आर.पी.एफ./पर्स-II]

अजय के. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 868(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force

Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010, namely :—

I. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) **Amendment** Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the **Official** Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010,

- (a) relating to the post of **Inspector** (Ministerial), under column 12, for the words "service in

the grade", the words "service in the grade and having Medical Category Shape-I" shall be substituted;

- (b) relating to the post of Subedar Major (Ministerial), under column 12, for the words "service in the grade", the words "service in **the** grade and having Medical Category Shape-I" shall be substituted.

[F. No. R IX-1/2011-Min./CRPF/Pers. II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers.)

Footnote :—The Principal rules were published **vide** No. **G.S.R.** 868(E), dated the 29th **October**, 2010.